कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग
परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0 प्र0)

दूरभाष–0751–2452643, **Email :** piugwalior@gmail.com

क्रमांक टी.सी. / पी.आई.यू. / ग्वा. / 2021–22 / 2108 ग्वालियर, दिनांक : 17 / 09 / 2021

प्रति,
श्रीमान जिलाधीश महोदय,
मध्यप्रदेश शासन्, जिला – ग्वालियर

विषय : नवीन 1000 बिस्तर अस्पताल, आमखो, ग्वालियर में सतत् एवं उच्च गुणवत्ता की अवरूद्व पॉवर सप्लाई हेतु 33 के.व्ही. **DCDS** लाईन के मार्ग में आने वाले वन खण्ड हेतु एफ.आर.ए. जारी करने बावत् ।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन् की अनुशंसा एवं सतत् एवं उच्च गुणवत्ता की अवरूद्व पॉवर सप्लाई हेतु 220 के.व्ही. उपकेन्द्र (रामसिया सरकार), ग्वालियर से नवीन 1000 बिस्तर अस्पताल, आमखो, ग्वालियर तक 33 के.व्ही. **DCDS** लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है । जिसमें ग्वालियर तहसील के केंसर पहाड़ी क्षेत्र की वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसका वन प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर को प्रेषित किया जाना है जिसमें एफ.आर.ए. की आवश्यकता है ।

उक्त उच्चदाब लाईन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 / 168 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 24.12. 2003 (जो कि भारतीय राजपत्र में प्रकाशित है) द्वारा मध्यप्रदेश शासन् में मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी (मध्यप्रदेश शासन् का उपक्रम) को स्थापित लाईन अथवा विद्युत संचारण के लिए स्थापित की जाने वाली लाईनों के प्रायोजनार्थ जो कार्य के उचित समन्वय हेतु आवश्यक हो एवं भारतीय तार अधिनियम 1885 के भाग–III के अंतर्गत तार प्राधिकारी हेतु निहित समस्त शक्तियों के प्रयोग से किया जा रहा है ।

उक्त उच्चदाब लाईन जिला ग्वालियर के अंतर्गत केंसर पहाड़ी (**RF**) वन खण्ड क्रमांक .... एवं .... से गुजर रही है । जिसमें कुल 0.5 हैक्ट. वन भूमि का उपयोग किया जावेगा ।

उक्त उच्चदाब लाईन के निर्माण में वन भूमि से संबधित ग्रामों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों को संरक्षित किया जावेगा एवं उक्त निवासियों को किसी प्रकार से विस्थापित नहीं किया जावेगा । उपयोग में लाई जा रही भूमि में किसी भी प्रकार की अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम 2006) निवास नहीं करते है ।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त उच्चदाब लाईन के निर्माण हेतु वन प्रस्तवा स्वीकृत कराने हेतु एफ. आर.ए. जारी करने की कृपा करें । जिससे यह अतिआवश्यक सेवा से जुड़ा जनहित कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जा सके ।

संलग्नः– 1. एफ.आर.ए. प्रारूप ।
2. राजस्व / वन विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

17/09/2021
परियोजना यंत्री (वि / यां.)
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू.
ग्वालियर

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामान्य) भोपाल ।
2. श्रीमान अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, लो.नि.वि. पी.आई.यू., ग्वालियर ।
3. श्रीमान वन मण्डलाधिकारी, ग्वालियर ।
4. श्री राकेश गुप्ता, उप परियोजना यंत्री, लो.नि.वि. पी.आई.यू., ग्वालियर ।

Scanned with CamScanner